भारत गणराज्य की सरकार

तथा

ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार

के बीच

आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय, जिस पर 08 नवम्बर, 1999 को वियना में हस्ताक्षर किये गये थे, का संशोधनकारी प्रोतोकोल

आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय, जिस पर वियना में 08 नवम्बर, 1999 को हस्ताक्षर किये गये थे और जो 05 सितम्बर, 2001 को लागू हुआ (इसके पश्चात् इसे ''अभिसमय'' कहा जायेगा), में संशोधन करते हुए एक प्रोतोकोल (इसके बाद इसे ''संशोधनकारी प्रोतोकोल'' कहा जायेगा) को अन्तिम रूप देने के इच्छुक भारत गणराज्य की सरकार तथा ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 26 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं

विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्त्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानत: संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना

प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अनुच्छेद 26 के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद 26 क सम्मिलित किया जायेगा;

"अनुच्छेद 26 क

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सीमा तक कर के संग्रहण में एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे कि इस अभिसमय के अन्तर्गत प्रदान की गई कर की किसी छूट अथवा कम की गई दर का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, जो ऐसे लाभों

हेतु पात्र नहीं हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

3. संविदाकारी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सीमा तक करों के संग्रहण में एक दूसरे को सहायता तथा समर्थन प्रदान करने का आश्वासन देते हैं कि संविदाकारी राज्य द्वारा लगाये गये कराधान से मौजूदा अभिसमय द्वारा प्रदान की गई छूट इसके लिए पात्र व्यक्तियों के लाभ को सुनिश्चित नहीं करती है, बशर्ते;

(क) प्रार्थी राज्य को अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि सग्रहण हेतु संदर्भित राशि, जिसके लिए वह दूसरे राज्य के हस्तक्षेप के लिए निवेदन कर रहा है, अन्तत: देय तथा प्रवर्तनीय हैं;

(ख) पैरा 3 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किया गया दस्तावेज प्रार्थित राज्य के कानूनों के अनुसार प्रवर्तनीय माना जाएगा। यह वर्णित है कि निवर्तमान आस्ट्रियन विधेयक के अंतर्गत ऐसे दस्तावेज क्षेत्रीय कर कार्यालयों (फाइनेनजाम्टर) द्वारा प्रवर्तनीय माने जाने चाहिए;

(ग) प्रार्थित राज्य सदृश कर ऋणों की वसूली संबंधी नियमों के अनुसार अपने आप वसूली करेगा; तथापि, वसूल किए जाने वाले ऋण प्रार्थित राज्य में रियायती ऋण नहीं माने जाएंगे। ऑस्ट्रिया गणराज्य में फाइनेंजप्रोक्यूरेटर अथवा उसकी ओर से

कार्य करने हेतु प्रत्यायुक्त वित्त कार्यालय द्वारा कानूनी निष्पादन के लिए अनुरोध किया जाएगा।; तथा

(घ) ऋण की राशि अथवा अस्तित्व संबंधी अपीलें प्रार्थी राज्य के सक्षम न्यायाधिकरण में ही दाखिल की जाएंगी।

पैरा के उपबंध से किसी भी संविदाकारी राज्य पर उसके अपने कर संग्रहण में प्रयुक्त प्रशासनिक तरीकों से अलग तरीके या जो उसकी प्रभुसत्ता, सुरक्षा, लोक नीति अथवा उसके जरूरी हितों से हटकर हों, उन्हें अपनाने की बाध्यता नहीं थोपी जाएगी।"

अनुच्छेद 3

अभिसमय के प्रोतोकोल में निम्नलिखित पैरे जोड़े जाएंगे;

"अनुच्छेद 26 जोड़ें;

1. अनुरोध करने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के लिए सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए अभिसमय के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचनाएं लिखित में उपलब्ध कराएंगे:

क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;

(ख) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला राज्य उसे अनुरोधित राज्य से प्राप्त करना चाहता है;

(ग) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

(घ) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित राज्य के पास है अथवा अनुरोधित राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है;

(ड.) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने का अनुमान है; और

(च) यह विवरण देते हुए कि आवेदक राज्य ने सूचना प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

2. यह ज्ञात है कि अनुच्छेद 26 में दिए गए सूचनाओं के आदान-प्रदान में वे साधन सम्मिलित नहीं होंगे जो ''मत्स्य अभियानों'' में आते हों।

3. यह ज्ञात है कि अनुच्छेद 26 के पैरा 5 के अनुसार संविदाकारी राज्यों द्वारा स्वैच्छिक अथवा स्वचल आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना जरूरी नहीं है।

4. यह ज्ञात है कि अनुच्छेद 26 की व्याख्या के लिए-उपर्युक्त सिद्धांतों के साथ-साथ – ओईसीडी में स्थापित सिद्धांतों तथा भारत या ऑस्ट्रिया की स्थिति, टिप्पणियों अथवा प्रतिबन्धों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

5. यह भी ज्ञात है कि अभिसमय के अनुच्छेद-26 से संबंधित दिनांक 08 नवम्बर, 1999 को हस्ताक्षरित प्रोतोकोल के उपबंध इस प्रोतोकोल द्वारा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद - 26 के संदर्भ में वैसे ही लागू होंगे।

6. यह भी ज्ञात है कि अनुच्छेद-26 के पैरा 1 के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी के स्थानीय कानूनों तथा प्रथाओं के तहत, जहां तक संभव हो सके, विशेष प्रार्थित फार्म (मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की प्रस्तुति तथा अभिसाक्षियों की गवाहियों सहित) में सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए।

7. यह ज्ञात है कि अनुच्छेद-26 पर ओईसीडी चर्चा के पैरा 9.1 में यथा कथित, अनुच्छेद - 26 की नवीन शैली (2010 रूपान्तर के अनुसार) में विदेश में कर जांच, तत्क्षण कर जांच और उद्योग-व्यापी सूचना का आदान-प्रदान, जो दोनों संविदाकारी राज्यों के स्थानीय कानूनों एवं प्रशासनिक प्रथाओं द्वारा स्वीकृत हों, शामिल हैं।''

अनुच्छेद 4

संविदाकारी राज्य एक दूसरे को राजनयिक माध्यमों के जरिए अधिसूचित करेंगे कि इस नयाचार को लागू करने के लिए सभी कानूनी क्रियाविधियां पूरी कर ली गयी हैं। प्रोतोकोल ऊपर संदर्भित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि के तुरन्त बाद के तीसरे माह के प्रथम दिन से लागू होगा। प्रोतोकोल के उपबंध इस प्रोतोकोल के लागू होने के वर्ष के बाद के वर्ष की एक जनवरी या उसके बाद से प्रारम्भ होने वाली करदेय अवधियों के संबंध में प्रभावी होंगे।

जिसके साक्ष्य में दोनों संविदाकारी राज्यों के विधिवत प्राधिकृत दूतों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में 06 फरवरी 2017 तारीख को अंग्रेजी, जर्मन और हिन्दी में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार की ओर से	भारत गणराज्य की सरकार की ओर से
जॉर्ज ज़ेहेटनर	**सुशील चंद्र**
(Georg Zehetner)	(Sushil Chandra)